

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/अवकाश/ 3702/2022

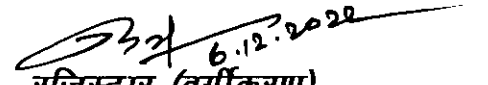
दिनांक : 06.12.2022

सुश्री विभा आर्य (RJ1064), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रैणी (अलवर) को दिनांक 18.10.2022 से 21.10.2022 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 22.10.2022 से 27.10.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री आर्य की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (अलवर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रैणी (अलवर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

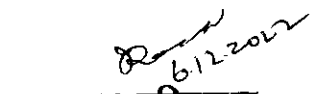

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/52/2016/ 8262

दिनांक : 06.12.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 32692 दिनांक 29.10.2022 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री विभा आर्य (RJ1064), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रैणी (अलवर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रैणी (अलवर)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (अलवर)।


सहायक रजिस्ट्रार